पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर-(2014-15) 495/1415066 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // सितम्बर, 05 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(कारपोरेट सर्किल)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15/245/ वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415040) दिनॉक 30-06-2014 द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य के सम्बन्ध में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत धारा-28(2)(i) तथा धारा-28(2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश, धारा-25(i) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण आदेश, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-9(2) के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश, धारा-9(2) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण आदेश तथा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 की धारा-9(4) के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश एवं धारा-10(1) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही आदेश दिनॉक 01-08-2014 से आनलाइन ही जारी की जाये तथा पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15 / 322 / वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415051) दिनॉक 22-07-2014 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में वर्तमान में निम्नलिखित नोटिस एवं आदेश आनलाइन जनरेट हो रहे है :-

E-NOTICES	E-ASSESSMENT ORDERS
नोटिस उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 28 के अन्तर्गत	कर निर्धारण आदेश (आदेश धारा-28(2)(i) के अन्तर्गत)/ कर निर्धारण आदेश (आदेश धारा- 28(2)(ii) केअन्तर्गत)
नोटिस उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-25(1) के अन्तर्गत	अस्थाई कर निर्धारण आदेश (आदेश धारा-25(1) के अन्तर्गत)
नोटिस उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-10(1) के अंतर्गत	आदेश उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कीधारा 10(1) केअन्तर्गत
नोटिस उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर करअधिनियम, 2007 की धारा-9(4) के अन्तर्गत	आदेश उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर कर अधिनियम,2007 की धारा 9(4) के अन्तर्गत
नोटिस केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा-9(2) के अन्तर्गतअस्थाई कर निर्धारण हेतु	आदेश केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा 9(2) के अन्तर्गत
नोटिस केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा-9(2) के अन्तर्गतअंतिम कर निर्धारण हेतु	आदेश केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा 9(2) के अन्तर्गत
नोटिस उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-10(1) के अन्तर्गत	आदेश उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कीधारा 10(1) केअन्तर्गत

mh

नोटिस उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 54(1)(14) के अन्तर्गत	आदेश उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 54(1)(14) केअन्तर्गत
नोटिस उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा - 54(1)(2) के अंतर्गत	आदेश उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 54(1)(2) केअन्तर्गत
नोटिस उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-48(5) के अन्तर्गत	आदेश उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 48(5) केअन्तर्गत
नोटिस केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-A के अन्तर्गत	आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-10-A केअन्तर्गत
नोटिस उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 8-A के अन्तर्गत	आदेश उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-8-A केअन्तर्गत
नोटिस- उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-17 की उपधारा (11) के अन्तर्गत	
नोटिस-उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कीधारा-29 के अन्तर्गत	

कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित नोटिस तथा आदेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन ही निर्गत किये जायेंगे। कतिपय अन्य नोटिस / आदेश के प्रारुप आनलाइन विकसित किये जा रहे हैं। अत: इस स्थिति के दृष्टिगत यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिन नोटिस / आदेश के प्रारुप आनलाइन उपलब्ध नही है, उनके सम्बन्ध में भी उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र संख्या-322 दिनॉक 22-07-2014 में निर्धारित प्रकियानुसार R-5A नम्बर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा तथा जनरेट हुये R-5A नम्बर को अंकित करते हुये ऐसे नोटिस / आदेश की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भाँति मैनुअली की जायेगी। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी वाद कालबाधित नही हो।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.9.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।